प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.08.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया

दिनांक 02.08.2024 को थाना लोनी पर वादी इरफान सैफी पुत्र अजीज अहमद सैफी निवासी खसरा न0 383 साहिल सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद ने तहरीर दी कि मेरे पुत्र अरशद को असलम आदि ने धारदार छूरी से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया है जिसको डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी तथा दिनांक 11.08.24 को अभियुक्त खुर्शीद उर्फ मुन्ना पुत्र बसीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आज दिनांक 18.08.24 को थाना लोनी पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले करने वाले बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर बाल अपचारी ने बताया कि हमारा हमारे पडोस में रहने वाले इरफान सैफी पुत्र अजीज अहमद सैफी निवासी खसरा न0 383 साहिल सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद के साथ प्लाट में भैंस बांधने को लेकर विवाद हो गया था इसी बात को लेकर मैने, सलमान व अफरीद के साथ मिलकर मौका देखकर इरफान के पुत्र अरशद को चाकू मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था तथा बाद में हमें पता चला था कि अरशद की मृत्यु हो गयी है।

आपराधिक इतिहास –

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लोनी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है,

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।